

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 02.12.2021

क्रमांक /रीडर/ 2021/

200

मुकदमा नंबर 150/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.कैलाशसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी बाड़मेर		1. धर्मराम पुत्र ताराराम
2.सुजानसिंह पुत्र नारखानसिंह, जाति राजपुत निवासी महाबार पीथल		2. जता पत्नि ताराराम
3.कवरराजसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपुत निवासी अकली तहसील शिव		3. मीरों पुत्री ताराराम
		4. तेजाराम पुत्र जोराराम
		5. गोविंदराम पुत्र जोराराम
		6. चतरु पत्नि जोराराम जातियान मेंघवाल निवासीयान साजियाली
		7. विश्वास पंवार पुत्र नरेन्द्र पंवार
		8. अभिषेक पंवार पुत्र नरेन्द्र पंवार मेंघवाल निवासीयान तिलक नगर बाड़मेर
		9. अणदाराम पुत्र शिवलाल
		10. बलुराम पुत्र मेहाराम
		11. कल्लाराम पुत्र प्रभुराम जातियान देवासी निवासीयान तिलवाडा
		12. नरेन्द्र कुमार पुत्र मलुकचन्द जाति ओसवाल निवासी मैन बाजार महावीर चौक जसोल
		13. सुरेश कुमार पुत्र उतमचन्द जाति मेहता निवासी महावीर कोलोनी बालोतरा
		14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा



आदेश

दिनांक 02.12.2021

उपर्युक्त प्रकरण मौजा साजियाली रूपजी कंठवाडा, पटवार क्षेत्र कालेवा तहसील पचपदरा में प्रार्थीगण सं 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा नंबर 108/1 रकबा 30 बीघा व प्रार्थीगण सं. 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नं. 150/1 रकबा 30 बीघा भूमि ग्राम साजियाली रूपजी कंठवाडा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(श्री नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2021/

201

दिनांक :- 02.12.2021

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना साजियाली रूपजी कंठवाडा को पालना हेतु
3. पटवारी क्षेत्र साजियाली रूपजी कंठवाडा तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्रार्थी कैलाशसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी बाड़मेर
5. विप्रार्थीगण धर्मराम पुत्र ताराराम व अन्य।

(श्री नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

के.ए. खारीनाडी